प्रेस नोट दिनांक 28.06.2026 जनपद फतेहपुर

थाना खागा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- पुलिस **अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 27.06.2026 को थाना खागा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 84/2026 धारा 318(4)/319/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-1. रवि कुमार पुत्र कंचनलाल निवासी शिशु मंदिर कॉलोनी भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 27 वर्ष को आरटीओ ऑफिस के पास, ग्राम कोर्रई, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.06.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त रवि कुमार पुत्र कंचनलाल निवासी शिशु मंदिर कॉलोनी भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी द्वारा बताया गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कस्बा खागा स्थित वादी मुकदमा की भूमि के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए थे। अभियुक्त ने अपने साथी हीरालाल को वादी मुकदमा योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी बनाकर फर्जी कागजात तैयार कराए तथा उक्त भूमि का बैनामा अपने साथी संजय कुमार के नाम कराया। तत्पश्चात लगभग 25 दिन बाद उक्त भूमि का पुनः बैनामा संजय कुमार से अपने नाम करा लिया। अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई।

➡ दिनांक - 04.04.2026 को थाना खागा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 84/2026 उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तगण 1.संजय कुमार पुत्र जगन्नाथ व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 2.हीरालाल पुत्र रामऔतार निवीसीगण ग्राम रामचौरा भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रवि कुमार पुत्र कंचनलाल निवासी ग्राम शिशु मंदिर कॉलोनी भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशांबी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0उ0नि0 कृष्ण कुमार यादव थाना खागा जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 प्रमेश यादव